

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]	नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 12—जनवरी 18, 2019 (पौष 22, 1940)=
No. 2]	NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 12—JANUARY 18, 2019 (PAUSA 22, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4=

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 19 अक्टूबर 2018

सं. बै.वि.के.का.आरसीबीडी. सं. 01/19.51.025/2018-19—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में “त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि., त्रिपुरा” को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है।

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 19th October 2018

DCBR.CO.RCBD. No. 01/19.51.025/2018-19—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of “Tripura State Co-operative Bank Ltd., Tripura” in the Second Schedule to the said Act.

SUDARSHAN SEN
Executive Director